95/17

42
3

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहूजा, आर.ए.एस.

आवेदनपत्र संख्या 95/2017
अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

विनोदकुमार आयु 45 वर्ष आत्मज श्री रामस्वरूप, जाट, चक 18 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर

.....आवेदक

बनाम

1. रामस्वरूप आयु 71 वर्ष आत्मज श्री दुल्लाराम, जाट, चक 18 जी. जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
2. राधेश्याम आयु 50 वर्ष आत्मज श्री रामस्वरूप, जाट, चक 18 जी. जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
3. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर.

.....अनावेदकगण

उपस्थिति– श्री दिनेश छाबड़ा (आवेदक)
श्री बलकरणसिंह (अनावेदक–1)

दिनांक 29 सितम्बर, 2017

– आदेश –

आवेदनपत्र के अनुसार चक 19 जी.जी. तहसील जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 54/48 मुरब्बा नम्बर 22 किला नम्बर 11 से 25 की कुल 3.782 हैक्टर नहरी कृषि भूमि (जिसे आदेश के शेष भाग में प्रश्नगत कृषि भूमि से सम्बोधित किया जा रहा है) अनावेदक संख्या 1 को अपने दादा–पड़दादा से संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पत्ति प्राप्त हुई जिसमें आवेदक का जन्म से ही कि व हिस्सा है. आवेदक प्रश्नगत कृषि भूमि में 1/3 हिस्सा है यह तथ्य निर्विवाद है कि प्रश्नगत कृषि भूमि हिन्दू खानदान की संयुक्त अविभाजित पैतृक सम्पत्ति है. अनावेदक संख्या 1 द्वारा उक्त पैतृक सम्पत्ति में से अपनी आवयकताओं के लिये 1/3 हिस्सा में से मुरब्बा नम्बर 22 किला नम्बर 21 एवं किला नम्बर 22(0.01) बीघा कुल 0.266 हैक्टर का विक्रय दिनांक 27 अप्रेल, 2005 को प्रतिफल प्राप्त कर अनावेदक संख्या 2 की धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णदेवी को कर दिया गया. तदोपरान्त, अनावेदक संख्या 1 के पास 1/3 हिस्सा में से उक्त विक्रीत भूमि निकालने के उपरान्त हिस्सा शेष रहा. आवेदक एवं अनावेदक संख्या 1 व 2 के मध्य अर्सा दस बारह वर्ष पूर्व पारिवारिक मौखिक समझौता किया गया जिसके अनुसार आवेदक को उसके 1/3 हिस्सा के लिये मुरब्बा नम्बर 22 किला नम्बर 16 से 20 कृषि भूमि दी गयी. जिस पर काबिज होकर आवेदक द्वारा काश्त की जा रही है तथा शेष कृषि भूमि अनावेदक संख्या 1 व 2 के कब्जा काश्त में है. अनावेदक संख्य 2 द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 88, 53, 188 एवं 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम शीर्षक राधेश्याम बनाम रामस्वरूप व अन्य प्रस्तुत कर प्रश्नगत

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

95/17

A2
4

कृषि भूमि में से श्रीमती कृष्णादेवी को विक्रय कर शेष भूमि आवेदक, अनावेदक संख्या 1 एवं अनावेदक संख्या 2 प्रत्येक 1/3 हिस्सा एतद्द्वारा 4.13 बीघा हेतु प्रस्तुत किया गया जिसके जवाब वादपत्र में आवेदक द्वारा अंकित किया गया कि आवेदक का 4.13 बीघा की अपेक्षा 5.00 बीघा भूमि बनती है. अनावेदक संख्या 1 के हिस्सा में 3.19 बीघा भूमि आती है आवेदक मुरब्बा नम्बर 22 किला नम्बर 16 से 20 कुल 5.00 बीघा का खाता पृथक करवाना चाहता है. माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 8 दिसम्बर, 2015 को वाद आज्ञाप्त किया जाकर अनावेदक संख्या 2, जो कि वाद में वादी था, को 4.13 बीघा का खातेदार घोषित कर दिया गया. आवेदक की ओर से उक्त आदेश दिनांक 8 दिसम्बर, 2015 के विरूद्व माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील संख्या 8/2016 शीर्षक विनोदकुमार बनाम राधेश्याम व अन्य द्वारा चुनौती दी गयी जिसमें माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 03 मार्च, 2016 द्वारा आशिंक स्वीकार किया जाकर वादी को 4.13 बीघा का खातेदार घोषित किया गया जिससे व्यथित होकर आवेदक द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जिसमें माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रकरण इस न्यायालय को पक्षकारान की सुनवाई हेतु पुर्नप्रेषित किया गया जिस पर अनावेदक संख्या 2 द्वारा वादपत्र निरस्त करवा लिया गया. अनावेदक संख्या 2 द्वारा पूर्व प्रस्तुत वादपत्र निरस्त करवाने के बाद प्रश्नगत कृषि भूमि यथावत अनावेदक संख्या 1 के नाम से बतौर मुखिया हिन्दू संयुक्त परिवार राजस्व अभिलेखों में दर्ज की गयी. चूंकि अनावेदक संख्या 1 व 2 के मध्य दुर्भिसंधि की हुई थी जिसके अन्तर्गत अनावेदक संख्या 2 के अनुचित दबाव में अनावेदक संख्या 1 द्वारा अपने नाम पर दर्ज कृषि भूमि, जिसमें आवेदक का 1/3 हिस्सा है, को अन्यत्र बंधक, विक्रय अथवा अन्य तरीका से अन्तरित करने पर उतारू है. अनावेदक संख्या 1 को अपने हक व हिस्सा की 3.19 बीघा से अधिक कृषि भूमि को विक्रय करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है. अनावेदक संख्या 1 के कृत्य को देखते हुऐ अनावेदक संख्या 2 को कई बार निवेदन किया कि पैतृक सम्पत्ति में आवेदक का 1/3 हिस्सा एवं हक प्रमाणित है तथा अनावेदक संख्या 2 की धर्मपत्नी को, जो विक्रय किया गया है वह अपनी आवश्यकताओंके लिये किया गया है एवं उक्त विक्रीत भूमि का समायोजन अनावेदक संख्या 1 के हक व हिस्सा की भूमि में करने के उपरान्त आवेदक को 1/3 हिस्सा अर्थात 5.00 बीघा कृषि भूमि का खातेदार मानकर चक 19 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 22 किला नम्बर 16 से 20 कुल 5.00 बीघा का खातेदार मानते हुऐ विभाजन कर राजस्व अभिलेखों में कियान्विती करवा लेवे एवं जब कि उक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में इसकी कियान्विती नहीं हो जाती तब तक आवेदक के नाम पर कृषि भूमि के इन्द्राज बाद विभाजन अंकन नहीं हो जाता, तब तक किसी भी प्रकार से अपने हक व हिस्सा से अधिक भूमि का विक्रय नहीं करे एवं आवेदक को हक व हिस्सा की भूमि को सुरक्षित रखे. अनावेदकगण पूर्व में ऐसा करने से टालमटोल करते रहे और आज कल करने का बहाना बनाते रहे एवं अन्त में दिनांक 21 अगस्त, 2017 को ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार करने के बाद अनावेदक संख्या 1 द्वारा

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

95/17

A2/5

एलानिया धमकी दी गयी कि वह अपने नाम से दर्ज भूमि का लाभ उठाकर अन्य बंधक, विक्रय अथवा अन्य तरीका से भूमि का अन्तरण करेगा. यदि अनावेदक संख्या 1 अपने इस नापाक मंसूबे में कामयाब हो जाता है तो आवेदक को अपूर्णनीय क्षति कारित होगी एवं वाद बाहुल्यता बढेगी. वादपत्र एवं आवेदनपत्र के अभिवचनों से एवं अभिलेखों से प्रथम दृष्टया वादकरण बाखूबी सिद्व है एवं सुविधा का सन्तुलन भी आवेदक के पक्ष में है. इस प्रकार आवेदक द्वारा वाद के निस्तारण तक, अनावेदक संख्या 1 को चक 19 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 22 की 3.782 हैक्टर को अपने नाम से अंकन होने का अनुचित लाभ उठाकर अन्यत्र बंधक, विक्रय अथवा किसी भी प्रकार से अन्तरित करने से निषिद्व करने एवं मौका एवं राजस्व अभिलेखों की यथास्थिति कायम रखने हेतु निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072, वादपत्र संख्या 510/2013 शीर्षक राधेश्याम बनाम रामस्वरूप में पारित निर्णय दिनांक 22 मार्च, 2015, वादपत्र संख्या 510/2013 शीर्षक राधेश्याम बनाम रामस्वरूप व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 8 दिसम्बर, 2015, पूर्व वादपत्र 10 जून, 2013, जवाब वादपत्र दिनांक 18 जुलाई, 2013, जवाब वादपत्र दिनांक 24 अप्रेल, 2014 एवं आवेदनपत्र दिनांक 22 मार्च, 2017 की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

अनावेदक संख्या 1 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित, अनावेदक संख्या 2 की तलबी हेतु जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर रूक रूक कर निरन्तर आवाजें लगवाये जाने पर भी उपस्थित नहीं आने के परिणामतः आदेश दिनांक 15 नवम्बर, 2017 द्वारा अनावेदक संख्या 2 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी. अनावेदक संख्या 3 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित.

अनावेदक संख्या 1 को जवाब आवेदनपत्र हेतु यथोचित अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब आवेदनपत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण आदेश दिनांक 30 नवम्बर, 2017 द्वारा अन्तिम अवसर दिया गया तदोपरान्त, अनावेदक संख्या 1 की ओर से जवाब आवेदनपत्र दिनांक 5 दिसम्बर, 2017 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार चक 19 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 54/48 मुरब्बा नम्बर 22 किला नम्बर 11 से 25 कुल 3.782 हैक्टर में से अनावेदक संख्या 1 द्वारा अपने परिवार की उचित आवश्यकताओं के दृष्टिगत दिनांक 27 अप्रेल, 2007 को पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर 2.66 हैक्टर कृषि भूमि का विक्रय श्रीमती कृष्णादेवी धर्मपत्नी श्री राधेश्याम को किया गया था. उक्त विक्रय आवेदक की पूर्व धर्मपत्नी को तलाक देते समय उसको खर्चा दिया गया एवं दूसरे विवाह करने पर भी काफी खर्च किया गया. प्रश्नगत कृषि भूमि अनावेदक संख्या 1 की स्वःर्जित कृषि भूमि है जिसमें अनावेदक संख्या 2 के अतिरिक्त किसी का भी कोई हक व हिस्सा नहीं है. अनावेदक संख्या 1 द्वारा स्वःर्जित कृषि भूमि में से कुल 0.266 हैक्टर का विक्रय दिनांक 27 अप्रेल, 2005 को पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर परिवार की आवश्यकताओं के दृष्टिगत अनावेदक संख्या 2 की पत्नी को विक्रय किया गया. अनावेदक

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

95/17

A2/6

संख्या 1 के पास कोई पैतृक कृषि भूमि नहीं है. यदि आवेदक पैतृक सम्पत्ति मानता है तो वह स्वयं अभिलेखीय साक्ष्यों से सिद्व करे. पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है. अनावेदक संख्या 1 द्वारा कभी भी 1/3 हिस्सा मानकर मौखिक विभाजन नहीं किया गया. अतिरिक्त कथनों में अंकित किया गया कि चक 19 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 54/48 मुरब्बा नम्बर 22 किला नम्बर 11 से 25 कुल 3. 782 हैक्टर अनावेदक संख्या 1 की स्वःर्जित कृषि भूमि है. अनावेदक संख्या 1 द्वारा आवेदक का प्रथम विवाह किया गया कुछ समय बाद ही आवेदक की पत्नी का आवेदक के साथ झगड़ा फसाद रहने लग गया जिससे आवेदक का अपनी पत्नी से तलाक हो गया तथा आवेदक की पत्नी को काफी राशि का भुगतान करना पड़ा जिससे अनावेदक संख्या 1 की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गयी. आवेदक के दूसरे विवाह पर भी काफी राशि का व्यय किया गया जिस पर अनावेदक संख्या 1 को अपने नाम की प्रश्नगत कृषि भूमि में से 0.266 हैक्टर कृषि भूमि का विक्रय श्रीमती कृष्णादेवी धर्मपत्नी श्री राधेयाम से परिवार की आवश्यकतानुसार पूरा प्रतिफल लेकर विक्रय किया गया. आवेदक एवं उसकी धर्मपत्नी श्रीमती सीमादेवी बहुत झगड़ालु प्रवृति के हैं जिनके द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2016 को अनावेदक संख्या 1 के साथ प्रातः करीब 7.00 बजे अनावेदक संख्या 1 के घर में घुसकर अनावेदक के साथ आवेदक एवं उसकी धर्मपत्नी श्रीमती सीमादेवी द्वारा मारपीट कर गम्भीर चोटें कारित की तथा अनावेदक संख्या 1 का मोबाईल एवं 10,000.00 रूपये चोरी कर ले गये. उक्त घटना की प्रथम सूचना संख्या 104/2016 अन्तर्गत धारा 452, 323, 382, 341, 384/34 भारतीय दण्ड संहिता पुलिस थाना सदर, श्रीगंगानगर में दर्ज की गयी. जिसके अनुसन्धानोपरान्त न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1, श्रीगंगानगर में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है तथा दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 को अभियोजन साक्ष्य हेतु निश्चित है. उक्त घटना के बाद अनावेदक संख्या 1 चिकित्सालय में उपचाराधीन था एवं आवेदक की धर्मपत्नी श्रीमती सीमादेवी ने पुलिस थाना महिला, श्रीगंगानगर में अनावेदक संख्या 1 के विरूद्व आवेदनपत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया गया है कि रामस्वरूप अनावेदक संख्या 1 द्वारा जबरदस्ती छेड़छाडत्र कर बलात्कार करने का प्रयास जैसे संगीन आरोप लगाये गये हैं जिसमें पुलिस द्वारा अनुसंधानोपरान्त सभी आरोप झूठे पाये गये. अनावेदक सख्या 1 द्वारा अपनी चक 18 जी.जी. गोबिन्दपुरा के 2.00 बीघा कृषि भूमि विक्रय कर अपने पुत्र विनोद आवेदक को चक धीरदान पटवार हल्का शेखसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर में खतौनी संख्या 333/334 खसरा नम्बर 87/1 में 22.10 बीघा बारानी कृषि भूमि विक्रय विलेख द्वारा क्रय कर दी गयी है. इसी प्रकार, दूसरे पुत्र राधेश्याम अनावेदक संख्या 2 को चक धीरदार पटवार हल्का शेखसर तहसील लूणकरणसर लि बकानेर में खतौनी संख्या 279/280 खसरा नम्बर 87/12 में 22.10 बीघा बारानी कृषि भूमि क्रय कर दी गयी है. आवेदक एवं उसकी धर्मपत्नी श्रीमती सीमादेवी बहुत ज्यादा निर्दयी स्वभाव के हैं जिनके द्वारा अनावेदक संख्या 1 को बुढापे में मापपीट कर घर स बेघर कर रखा है. वर्तमान में अनावेदक संख्या 1 मजबूरीवश अपनी रिश्तेदारी में रह कर बड़ी मुश्किल से जीवन यापन कर रहा है. आवेदक एवं उसकी

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

95/17

A2
7

धर्मपत्नी श्रीमती सीमादेवी अनावेदक संख्या 1 व 2 को अपनी कृषि भूमि पर खेती नहीं करने देते. सारी कृषि भूमि आज भी खाली एवं बंजर पड़ी है. न ही किसी को ठेका हिस्सा पर देने देते है तथा बिना वजह झगड़े पर उतारू हो जाते हैं. अनावेदक संख्या 1 एवं उसकी धर्मपत्नी वृद्धावस्था में हैं और अक्सर बीमार रहते हैं तथा कृषि के अतिरिक्त उनकी आय का कोई अन्य स्त्रोत नहीं है जो कृषि भूमि पर आवेदक एवं उसकी धर्मपत्नी श्रीमती सीमादेवी न तो कृषि कार्य करने देते और न ही किसी अन्य को हिस्सा ठेका पर काश्त करने देते हैं. चूंकि प्रश्नगत कृषि भूमि स्वःर्जित कृषि भूमि है जिसमें अनावेदक संख्या 1 के जीवनकाल में किसी अन्य को कोई हक व अधिकार नहीं है. इस प्रकार आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु महत्वपूर्ण तीनों बिन्दुओं क्रमशः प्रथमदृष्टया वादकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमेय क्षति की विवेचना की गयी.

अनावेदक संख्या 1 द्वारा जवाब आवेदनपत्र में यह तथ्य का अंकन कि प्रश्नगत कृषि भूमि अनावेदक संख्या 1 की स्वःर्जित कृषि भूमि है, की बाबत किसी भी प्रकार का अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया. किन्तु अनावेदक संख्या 1 के धारण की चक 19 जी.जी. तहसील जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 54/48 मुरब्बा नम्बर 22 किला नम्बर 11 से 25 की कुल 3.782 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से 0.266 हैक्टर बिक्रीत कृषि भूमि के बाद शेष उपलब्ध 3.516 हैक्टर पैतृक कृषि भूमि में आवेदक का 1/3 हिस्सा होने के कारण सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमेय क्षति का बिन्दु आवेदक के पक्ष में साबित होता है.

अतः आदेश दिया जाता है कि अनावेदकगण, मूल वाद के निस्तारण तक, चक 19 जी.जी. तहसील जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 54/48 मुरब्बा नम्बर 22 किला नम्बर 11 से 25 की कुल 3.782 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से शेष उपलब्ध 3.516 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा के राजस्व अभिलेखों की वर्तमान स्थिति यथावत कायम रखे.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(यशपाल आहूजा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर